रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 343] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 1973/आश्विन 11, 1895

No. 343] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 1973/ASVINA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 3rd October 1973

S.O. 539(E)/IDRA/73.—In exercise of the powers conferred by sub-section section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)/18A/IDRA/72, dated the 25th November, 1972, namely:—

In the said Order, under the heading "Members", for serial number 2, the following serial number shall be substituted, namely:—

"2. Shri G. C. Mukherjee, Managing Director, Sen and Pandit Industries Limited, P.O. Kalyani, District Nadia (West Bengal)."

[No. 25(26)/72-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1973

का० आ० 539 (अ) **आई० डी० आर० ए०**/73.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 725 (ई)/18क/आई० डी० आर० ए० /72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, "सदस्य" शीर्षक के अन्तर्गत, क्रम सं० 2 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. श्री जी० सी० मुखर्जी, प्रबन्ध निदेशक, सेन एण्ड पण्डित इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डा० घ० कल्याणी, जिला नादिया (पश्चिमी बंगाल)।"

[सं० 25 (26)/72 सी यू सी]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973